भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1214

सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 / 30 भाद्रपद, 1942 (शक)

प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाना

1214 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर कितने प्रवासी श्रमिक अपने-अपने गांव लौट गए है:

(ख) इस संकट के दौरान सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए थे:

(ग) क्या सरकार लॉकडाउन घोषित करने से पहले प्रवासियों को पर्याप्त समय नहीं दे पायी थी, यदि हां, तो इसके क्या कारण है:

(घ) अपने गांव लौटते सामय कितने प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु को गई: और

(ङ) क्या सरकार प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना बना रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ड.): कोविड-19 महामारी और उसके पश्चात लॉक डाउन के दौरान 1 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगार अपने गृह राज्यों को वापस गए। यथा उपलब्ध प्रवासी कामगारों की संख्या का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

सरकार द्वारा प्रवासी कामगारों को सहायता प्रदान करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा निम्ननुसार है:

1. लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों को हल करने के लिए, मंत्रालय ने पूरे देश में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए। लॉकडाउन के दौरान, इन कंट्रोल रूमों के माध्यम से श्रमिकों की 15000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया था और मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण दो लाख से अधिक श्रमिकों को उनकी देय मजदूरी के रूप में लगभग 295 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया था।

2. लॉकडाउन के तुरंत बाद, श्रम और रोजगार मंत्रालय की और से सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों को भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों की उपकर निधि से सन्निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के निदेश जारी किए गए। यह अनुमान है कि प्रवासी श्रमिकों में सर्वाधिक अनुपात सन्निर्माण कामगारों का है। आदिनांक1.83 करोड़ सन्निर्माण श्रमिकों को विभिन्न राज्यों द्वारा बनाई जा रही भवन एवं

अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर निधि से सीधे उनके बैंक खातों में लगभग 5000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

3. लॉकडाउन के बाद, देश के गरीब, जरूरतमंद और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज के साथ प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना प्रारंभ की गई। इस पैकेज के तहत, 80 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम गेहूं/चावल और 1 किग्रा. दालें उपलब्ध कराई गई हैं। सभी लाभार्थियों को नि: शुल्क खाद्यान्न अब नवंबर, 2020 तक प्रदान किया जाएगा।

4. मनरेगा के तहत प्रतिदिन की मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है।

5. लगभग 50 लाख फेरीवालों को अपना व्यवसाय पुन: आरंभ करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपये तक के कोलाट्रल फ्री कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा देने हेतु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया है।

6. अपने गृह राज्य लौट चुके प्रवासी कामगारों के नियोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए, मिशन मोड में 116 जिलों में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना आरंभ की गई है। इस अभियान के तहत, 50,000/- करोड़ रुपये के संसाधन आवरण के साथ इन प्रवासी कामगारों की भागीदारी से ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा।

7. मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करें, एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के तहत बीस लाख करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज शुरू किया गया है।

8. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने वहनीय किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) के लिए एक योजना शुरू की है, जो शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए जीवंत, टिकाऊ और समावेशी सस्ते किराए पर आवास स्थलों का निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत एक उप-योजना है।

9. श्रमिकों को उनके ईपीएफ खाते के माध्यम से न्यूनतम वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी ईपीएफ सदस्यों को अपने ईपीएफ खाते में जमा कुल भविष्य निधि का 75% निकालने की अनुमति दी है। आदिनांक, ईपीएफओ के सदस्यों द्वारा लगभग 39,000/- करोड़ रुपये निकाले गए हैं।

10. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा लागू की जा रही **अटल बीमित कल्याण योजना** को 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक एक और वर्ष के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी और संबंधित लॉकडाउन के कारण रोजगार खो चुके बीमित श्रमिकों के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ इस योजना के तहत बेरोजगारी राहत की दर को 25% की पूर्व दर से बढ़ाकर मजदूरी का 50% करने का भी निर्णय लिया गया है। विस्तरित लाभ और छूट पात्रता शर्ते 24.03.2020 से 31.12.2020 तक लागू है।

* ******

अनुबंध

21.09.2020 के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या- 1214 के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	वैसे प्रवासी कामगारों* की संख्या जो अपने गृह राज्य वापस आये।
1	आंध्र प्रदेश	32,571
2	अण्डमान और निकोबार	4,960
3	अरुणाचल प्रदेश	2,871
4	असम	4,26,441
5	बिहार	15,00,612
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	43,747
9	दिल्ली	2,047
10	गोवा	
11	गुजरात	
12	हरियाणा	1,289
13	हिमाचल प्रदेश	0
14	जम्मू और कश्मीर	48,780
15	झारखंड	5,30,047
16	कर्नाटक	1,34,438
17	केरल	3,11,124
18	लद्दाख	50
19	लक्षद्वीप	456
20	मध्य प्रदेश	7,53,581
21	महाराष्ट्र	1,82,990
22	मणिपुर	12,338
23	मेघालय	4,266
24	मिजोरम	
25	नागालैंड	11,750
26	ओडिशा	
27	पांडिचेरी	1,694
28	पंजाब	5,15,642
29	राजस्थान	13,08,130
30	सिक्किम	33,015
31	तमिलनाडु	72,145
32	तेलंगाना	37,050
33	त्रिपुरा	34,247
34	उत्तर प्रदेश	32,49,638
35	उत्तराखंड	0
36	पश्चिम बंगाल	13,84,693
	कुल	**1,06,40,612**

***आदिनांक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार**

******